उपायुक्त एवं जिला मैजिस्ट्रेट,/आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जिला चम्बा।

Email Id: ddmachamba@gmail.com, **Contact No:** 01899-226950 **Telefax:** 01899-225371

Frequently Asked Questions (लगातार पुछे जाने वाले प्रश्न)

बॉर्डर एंट्री/प्रवेश/रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण

1. **बॉर्डर रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण क्या जिला चम्बा में बॉर्डर एंट्री/प्रवेश पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है ?**

✓ हाँ 27 अप्रैल 2021 की मध्य रात्री से इन्टर–स्टेट बॉर्डर के माध्यम से आने वाले सभी व्यक्तिवों को https://covid19epass.hp.gov.in पर पंजीकरण करना होगा। तथा 14 दिन को क्वारंटीन भी करना होगा।

✓ जो कि पंजीकरण कर रहे व्यक्ति के द्वारा पंजीकरण के दौरान दिये गये मोबाईल नम्बर पर प्राप्त लिंक से अपने फोन पर Acknowledgement receipt डाउनलोड किया जा सकेगा।

✓ यह पंजीकरण प्रमाण पत्र बॉर्डर पर चेक और स्कैन किया जायेगा और उसके बाद ही जिले में प्रवेश दिया जाएगा।

✓ जिला चम्बा में प्रवेश करने वाली बसों के सभी यात्रियों को भी https://covid19epass.hp.gov.in पर पंजीकरण करना होगा ताकि कंडक्टर सीमा बॉर्डर पर पहले से किए गए यात्रियों द्वारा पंजीकरण करवा सके।

2. **बॉर्डर पर क्या–क्या दस्तावेज देखे जाएंगे ?**

✓ बॉर्डर पर https://covid19epass.hp.gov.in से QR कोड युक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र।

✓ कोविड–19 नेगेटिव रिपोर्ट व्यक्ति का फोटो पहचान पत्र और पंजीकरण करते समय जिले में प्रवेश करने के लिये दिया गया कारण एवं जहां से यात्रा शुरू की है और जहा जा रहे है से सम्बन्धी दस्तावेज देखे जाएंगें।

✓ गलत दस्तावेज पाऐ जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसलिए पंजीकरण करते समय कोई भी गलत पता या दस्तावेज अपलोड ना करें।

3. कोविड–19 नेगेटिव रिपोर्ट कहाँ से जारी होनी चाहिए ?

- ✓ कोविड–19 नेगेटिव रिपोर्ट सरकारी लैब/ICMR से अधिकृत लैब से ही जारी होनी चाहिए।

4. यदि मैं बिना पंजीकरण बॉर्डर पर पहुँचता हूँ तो क्या होगा ?

- ✓ ऐसी स्थिति में आपको बॉर्डर में /नाके पर पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना पडेगा।

- ✓ बॉर्डर नाकों पर असुविधा से बचने के लिए यात्रा शुरू करने से पूर्व ही अपना पंजीकरण करवाएं और पंजीकरण प्रमाण–पत्र साथ लेकर चलें।

5. यदि मैं बिना पंजीकरण के चोर–रास्तों से जिले में प्रवेश कर लेता हूँ। तो क्या हेगा ?

- ✓ जिले के प्रत्येक शहरी वार्ड/पंचायत में बाहर से आए लोगों को ढूँढने के लिए काम पर लगी है। और बिना पंजीकरण आएं लोगो की पहचान होने पर उनपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन्हें सरकारी/संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रख कर टेस्ट करवाया जाएगा।

6. यदि मैं क्वारंटीन के दायरे में आते हुए भी घर ये बाहर निकलता हूँ तो उसका क्या परिणाम होगा ?

- ✓ ऐसे मामलों में उल्लंघन करने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन्हे सरकारी/संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रख कर टेस्ट करवाया जाएगा।

7. मुझे वैक्सीन की एक ड़ोज लग चुकी है। क्या मुझे जिला चम्बा में अपने घर पर क्वांरटीन होना पड़ेगा?

- ✓ यदि आप जिला चम्बा में कोविड–19 किसी भी राज्य से आ रहे है तो बॉर्डर एंट्री/प्रवेश से 14 दिना पूर्व तक आपको वैक्सीन की दोनो लग चुकी होनी चाहिए तभी आप घर पर क्वारंटीन से मुक्त होंगे। सिर्फ एक डोज लगने पर आपको यह छूट नही मिलेगी।

8. कोविड–19 हाई लोड राज्य से जिला चम्बा में रहने के लिए अपने घर आने वालों के लिए क्या नियम है ?

- ✓ आपको https://covid19epass.hp.gov.in पर पंजीकरण करना होगा।

- ✓ जिला चम्बा में प्रवेश के पूर्व 72 घंटों में जी RTPCR कोविड–19 नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर ही आएं अन्यथा आपको 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना पडेगा व कोविड–19 का टेस्ट करवाना होगा। तथा आप अपने रिश्तेदारों से नही मिलेगे।

9. मैं जिला चम्बा में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आ रहा हूँ व एक दिन में वापस चला जाऊगा । मुझे क्या करना होगा ?

- ✓ आपको https://covid19epass.hp.gov.in पर पंजीकरण करना होगा।
- ✓ जिला चम्बा में प्रवेश के पूर्व 72 घंटों में जी RTPCR कोविड–19 नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर ही आएं अन्यथा आपको जिले में प्रवेश नही करने दिया जाएगा।

10. मैं जिला चम्बा या हिमाचल के बाहर एक शादी में शामिल होने जा रह हूँ व एक दिन में वापस आ जाऊगा। मुझे क्या करना होगा ?

- ✓ आपको चम्बा वापिस आने पर बॉर्डर पर 72 घंटे पूर्व कोविड–19 नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी अन्यथा आपको 14 दिन घर पर क्वारंटीन होकर कोविड–19 टेस्टिंग करवानी होगी।

11. मैं चम्बा का रहने वाला हूँ और रोज़ पंजाब में नौकरी करने जाता हूँ। मुझे क्या करना होगा ?

- ✓ आपको अपने सम्बन्धित उप–मण्डल स्तर पर उप जिला मैजिस्ट्रेट (SDM) से "Monthly E-Pass" पास जारी करवा सकते है।
- ✓ अपना पंजीकरण प्रमाण–पत्र, फोटो पहचान पत्र, और पंजाब में नौकरी/दुकान होने के दस्तावेज साथ रखने हेंगे।
- ✓ ऐसे सभी लोगों को अगले 6 हफ्ते में अपना कोविड–19 टीकाकरण पूर्ण करना होगा।

12. मैं रोज अपनी दुकान/जॉब के लिए पंजाब स्थत दुनेरा, पठानकोट आदि जो जिला चम्बा के सीमाबर्ती क्षेत्रो में आवाजाही करता हूँ। क्या मुझे भी पंजीकरण करवाना होगा ?

- ✓ आपको अपने सम्बन्धित उप–मण्डल स्तर पर उप जिला मजिस्ट्रेट (SDM) से "Monthly E-Pass" पास जारी करवा सकते है।
- ✓ अपना पंजीकरण प्रमाण–पत्र, फोटो पहचान पत्र, और पंजाब में नौकरी/दुकान होने के दस्तावेज साथ रखने होंगे।
- ✓ ऐसे सभी लोगों को अगले 6 हफ्ते में अपना कोविड–19 टीकाकरण पूर्ण करना होगा।

13. मै हाई लोड राज्यों में कोविड–19 टेस्ट के लिए सैम्पल देकर आयें हूँ पर रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। मुझे क्या करना होगा ?

- ✓ यदि आपने हाई लोड राज्यों से यात्रा शुरू करने के स्थान पर काविड–19 टेस्ट के लिए सैम्पल दिया है और रिपोर्ट नही आई है तो जिला चम्बा मे लिए यात्रा ना करें।

- ✓ मात्र सैंपल के लिए पजीकरण के मेसेज की बॉर्डर पर मान्य नहीं समझा जाएगा।

- ✓ यदि आप सैंपल देने वाले स्थान पर पॉजिटिव आते हैं तो बाद में आप पर लापरवाही से कोविड–19 फैलाने का मुकदमा भी दर्ज होगा।

14. मै जिला चम्बा से बाहरी अन्य राज्यों में काम/उपचार के लिए जाना चाहता हूँ। मुझे क्या करना होगा?

- ✓ यदि आप जिला चम्बा से बाहरी राज्यों में किसी काम/उपचार के लिए 72 घंटों में जाकर वापिस आ रहे हैं तो आपको https://covid19epass.hp.gov.in पर "Going Out and Coming Back to HP (Within 72 hours)" की श्रेणी में पंजीकरण करवाना होगा और 72 घंटो के अंदर ही हिमाचल लौटना होगा। यदि आप 72 घंटे के बाद हिमाचल लौटते है/लौटने वाले हैं तो आपको लौटकर उपने घर में क्वारंटीन होकर कोविड–19 टेस्ट करवाना होगा।

15. क्या एक वाहन में बैठे सभी लोगों को पंजीरकण करवाना होगा ?

- ✓ हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकरण करवाना होगा। एक आवेदक अपने साथ दो अतिरिक्त व्यकितयों का पंजीकरण उसी फॉर्म से करवा सकता हैं।

16. **प्रवासी मजदूरों को जिले में आने के लिए क्या नियम है ?**

- ✓ प्रवासी मजदूरो हेतु सम्बनिध विभाग/निगम/कारपोरेशन/ठेकेदार द्वारा जिले में प्रवेश करने वाले श्रमिको का पंजीकरण https://covid19epass.hp.gov.in पर करना होगा।

- ✓ तथा प्रवासी मजदूरो को उनके कार्य स्थल पर ही 14 दिनों हेतु क्वारंटिन रखना होगा उन्हे अपने कार्य स्थलों पर मास्क लगाकर कार्य करने की अनुमति होगी एवं उन्हे अन्य श्रमिको व स्थानीय लोगो से मेल–मिलाप की अनुमति नही होगी।

- ✓ प्रवासी मजदूरो द्वारा 14 दिनों से पूर्व या काविड–19 की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना अन्य श्रमिको व स्थानीय लोगों से मेल–मिलाप करने हुये पाया जाता है तो सम्बन्धित विभाग/निगम/कारपोरेशन/ठेकेदान उत्तरदायित्व होगा तथा प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

17. मुझे अपने खेत में निर्माण कार्य/उद्योग के लिए कामगारों/लेबर की आवश्यकता है। मुझे क्या करना होगा ?

- ✓ उक्त कार्यो के लिए कामगारों/लेबर लाने वाले व्यक्ति/ठेकेदार को कामगारों/लेबर का पंजीकरण https://covid19epass.hp.gov.in पर करवाना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कोविड–19 के लक्षणों वाला कोई भी कामगार जिला में न लाया जाये। ऐसे कामगारों को आम लोगों/बस्तियों से अलग रखा जाएगा और काम की जगह पर सभी मास्क लगा कर ही काम करें

18. जिला चम्बा में क्वारंटीन व आने–जाने हेतु किन लोगो को छूट रहेगी ?

जिला चम्बा में निम्न लोगों को क्वारंटीन में छूट रहेगी।

1. वे लोग जो अपने साथ RTPCR कोविड–19 नेगेटिव रिपोर्ट साथ ला रहे हैं जो कि एंट्री/प्रवेश से 72 घंटे पूर्व की अवधि में जारी की गई हो।

2. वे लोग जिनको एंट्री/प्रवेश से 14 दिन पूर्व कोविड–19 वैक्सीन की दूसरी डोज़ का सर्टिफिकेट मिल चुका है।

3. जिला चम्बा के निवासी जो बाहरी राज्यो में उपचार, चिकित्सीय देखभाल के लिए जाते है और 72 घंटे के अन्दर लौट आते हैं और यात्रा के लिए पंजीकरण करवाकर जाते हैं। तथा उन्हे जिले से बाहर निकले से पहले पंजीकरण प्रमाण–पत्र, पर बॉर्डर पर पुलिस व्यवस्था के अनुसार मोहर लगवानी होगी।

4. पिछले 6 महीने में काविड–19 से रिकवर हुआ व्यक्ति (किन्तु पिछले 20 दिन में संक्रमित नही हुआ होना चाहिए)

5. 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे जिनके माता–पिता कोविड–19 नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए हैं।

6. अतिआवश्यक सेवाएं को आपूर्ति करने वाले वाहनों के ड्राईवर के अलावा अधिकतम एक हेल्पर हो।

7. मालवाहक बाहनों की आवाजाही जिसमें ड्राईवर के अलावा अधिकतम एक हेल्पर हो

8. एम्बुलेंस सरकरी/गैर सरकारी व अग्निशमन, फायर टेंडर व अन्य आपातकालीन वाहनो व कर्मचारी की आवाजाही।

9. यदि जिला चम्बा के विभिन्न विभागों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 72 घंटे के अन्तर्गत जिले से बाहर जाने तथा वापस आने पर।

19. मै एक पर्यटक हूँ और चम्बा में 2–3 दिनो हेतु घूमने आना चाहता हूँ। मुझे क्या करना होगा।

- ✓ आपके पास अनिवार्य रूप से RTPCR कोविड–19 नेगेटिव रिपोर्ट जो कि एंट्री/प्रवेश से 72 घंटे पूर्व की अवधी में जारी की गई तभी आप घूमने आ सकते है।
- ✓ या आप अपरोक्त छूट के अन्तर्गत आते है। अन्यथा आपको प्रवेश नही करने दिया जाएगा।

स्थानिय बाजारों के खुलने के सम्बन्ध में

20. स्थानीय बाजारों के खुलने व बन्द करने के सम्बन्ध में कोई प्रबिन्ध लगाया गया है ?

- ✓ हफ्ते में बाजार सोमबार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे।

21. मैं होजरी/कपडों की दुकान है। मुझे क्या करना होगा ?

- ✓ सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति रहेंगी।

22. मै रेडी/फडी की दुकान लगता हूँ। मुझे किस दिन व किस समय तक दुकान खोलनी है ?

- ✓ रेडी/फडी लगाने वाले सामान विक्रेता सोमबार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान लगा सकते है तथा लोगों को अनावश्यक भीड़ ना करने के प्रोत्साहित करेंगे एवं अपने आस–पास लोगो की भीड करने की अनुमति नही देगें।

23. मेरी चाट/फस्ट फूड/जूस नींबू पानी/अन्य सम्बन्धित रेडी लगाता हूँ। मुझे क्या करना होगा ?

- ✓ चाट/फस्ट फूड/जूस नींबू पानी/अन्य रेडी लगाने वाले सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान लगा सकते है तथा लोगों को अनावश्यक भीड़ ना करने के प्रोत्साहित करेंगे एवं अपने आस–पास लोगो की भीड करने की अनुमति नही देगें। व खाने–पीने की वस्तुओं को डिस्पोजल प्लेट गिलास में सर्व करेंगें।
- ✓ शनिवार व रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे।
- ✓ शनिवार व रविवार को केवल आवश्यक दुकाने जैसेः– केमिस्ट/दवा, रेस्तरां, दुध, पनीर, दही, ब्रेड और डेयरी पेट्रोल पंप, सब्जियों आदि की दुकने अपराहन 2:00 बजे तक खुली रहेगी।
- ✓ सभी दुकान/प्रतिष्ठान मालिकों द्वारा अपनी–अपनी दुकानों में कोविड–19 से सुरक्षा हेतु सैनिटाईजर, मास्क अन्य उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होगे। तथा दुकान परिसर के अन्दर भीड़ की अनुमति नही देगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि कोई व्यक्ति बिना मास्क के दुकान में प्रवेश न करें।

24. मैं पेट्रोल/डीजल पंप मालिक हुँ। मुझे किस प्रकार छूट रहेगी?

- ✓ सभी पेट्रोल/डीजल पंप सामान्य रूप से संचालित रहेंगे।

25. क्या शनिवार व रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं की दुकान खुली रहेंगी ?

- ✓ हफ्ते में प्रत्येक शनिवार व रविवार को अपराहन 2:00 बजे तक अत्यावश्यक सेवाएं को आपूर्ति करने वले व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।

26. मै सब्जियों/किराना की बिक्री का कम करता हूँ। मुझे क्या छुट रहेगी ?

- ✓ सभी सब्जियों की दुकान/रेडी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी।
- ✓ सभी किराना की दुकान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे।
- ✓ हफ्ते में प्रतेक शनिवार व रविवार को सभी सब्जियों/किराने की दुकाने/रेडी अपराहन 2:00 बजे तक खुली रहेंगी।

27. मेरा मेडिकल स्टोर/दवाई की दुकान चहात हूँ मुझे किस प्रकार की छूट रहेगी ?

- ✓ मेडिकल स्टोर/दवाई की दुकान सामान्य रूप से संचालित रहेंगे। तथा दवाईया होम डिलीवरी करवाने के प्रयत्न किए जाँए ताकि अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके।
- ✓

28. क्या राष्ट्रीय राजमार्गो और ब्रांच मार्गो पर दुकाने खुली रहेगी ?

- ✓ केवल पेट्रोल पंप ढाबे, मेडिकल शॉप, हाईवेज पर मोटर/गाडी की मरम्मत की दुकाने खुली रहेंगी।

सामाजिक समारोह

29. **मेरे घर पर शादी, समारोह है। क्या समाजिक समारोह पर प्रतिबन्ध लगया गया है?**

- ✓ **सभी परमिसन रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण** https://covid19epass.hp.gov.in पर करना होगा।
- ✓ केवल विवाह समारोहों ही आयोजित की अनुमति रहेंगी।
- ✓ विवाह समारोहों में **सामुदायिक धाम और किसी भी प्रकार के स्वागत और समारोहों** पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।

- ✓ विवाह समारोहों केवल परिवार के करीबी सदस्यों हेतु अनुमति होगी और विवाह समारोह कोविड–19 प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन के साथ किए जाएंगे।

- ✓ विवाह समारोहों में कोविड–19 के दिशा निर्देशों की उल्लंघन/अवहेलना की स्थिति में सम्बन्धितों के विरूद्ध स्थानीय प्रशासन द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 Epidemic disease Act, 1897 एवं भारतीय दण्ड सहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

- ✓ मैरिज पैलेस एवं अन्य जहां इस तरह के समारोहों आयोजित करवाये जाते है में किसी भी प्रकार का कोविड–19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन की तारीख से 10 दिनों के लिए पैलेस को बंद कर दिया जाएगा।

- ✓ अन्य सभी सामाजिक कार्य जैसेः– मुंडन, धार्मिक प्रवचन, सगाई आदि सभी समारोहों पर प्रतिबन्ध रहेंगा।

- ✓ ऐसा समारोहों केवल परिवार के करीबी सदस्यों द्वारा आयोजित किये जा सकते है।

30. क्या किसी भी धर्मिक अनुष्ठान में प्रवेश करने व पूजा– अर्चना करने की अनुमति है?

- ✓ किसी भी धार्मिक अनुष्ठान जैसेः– मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा के कपाट बन्द रहेंगे केवल पुजारी द्वारा आश्यकता अनुसार आवाजाही व क्रिया–कलापो/पूजा– अर्चना करने की अनुमति होगी बाकी सभी लोगों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

31. शव यात्रा/अंतिम संस्कार में हेतु क्या दिश निदेर्श है ?

- ✓ केवल करीबी परिवार के सदस्यों द्वारा शव यात्रा/अंतिम संस्कार में सम्मिलित हो सकते है।

32. क्या सरकारी/गैर सरकारी/NGO/अदि किसी भी संस्थान द्वारा प्रशिक्षण, जागरूकता शिविर का आयोजित करवाये जायेगे एवं क्या इनमें प्रतिभाग कर सकतें है ?

- ✓ सभी सरकारी/गैर सरकारी/NGO/अदि किसी भी संस्थान में प्रशिक्षण, जागरूकता, सृजन शिविर, बैठक, शारीरिक अपस्थिति पूर्णतः 10 मई तक प्रतिबंधित रहेंगे। केवल ऑनलाईन वीडियों कॉनफ्रेंस के माध्यम से आयोजित हो सकेंगी।

33. यदि मुझे कोई शंका हो तो मैं किस नंबर पर संपर्क कर सकता हूँ ?

- ✓ आप किसी भी सूचना के लिए 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। केवल आधिकारिक स्त्रोतों https://hpchamba.nic.in/ से ही जानकारी लें। सोशल मीडिया पर फैली सूचना को सरकारी निर्देश न माने।